

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर।
(खनन अनुभाग)

संख्या: 1048/ख0अनु0-विज्ञापित-सा0बालू/2026-27.

दिनांक: 13.08.2026

(ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर एवं तुलसीपुर में नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू के खनन क्षेत्रों को उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23 के उप नियम-2(ड.) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित करते हुए शासनादेश संख्या-2026/86-2019-57 (स)/2017 दिनांक 30.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-टेंडरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक-20.09.2026 समय-10:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक: 27.09.2026 समय 05:00 बजे अपराह्न तक निम्नांकित क्षेत्र के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:-

क्र0 सं0	भूस्वामी / भूस्वामियों के नाम	तहसील / ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	सीमायें			उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा (घनमी0 में)	सा0 बालू की प्रचलित दर रुपये में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रुपये में	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी रुपये में।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राम कुमार, रामदीन व राम नरेश पुत्रगण श्री राम गुलाम	बलरामपुर / जबदही	377	2.6470	बिन्दु	अक्षांतर	देशांतर	सा0 बालू श्रेणी-1	39705	80.00	31,76,400	7,94,100
					बिन्दु-A	N 27°30'24.68"	E-82°7'43.93"					
					बिन्दु-B	N 27°30'23.48"	E-82°7'52.35"					
					बिन्दु-C	N 27°30'27.18"	E-82°7'53.71"					
					बिन्दु-D	N 27°30'28.17"	E-82°7'45.84"					
2	राम दुलारी पत्नी श्री सियाराम	तुलसीपुर / किठूरा	441 442	1.7120	बिन्दु-A	N 27°29'37.2"	E-82°9'1.50"	सा0 बालू श्रेणी-1	20520	80.00	16,41,600	4,10,400
					बिन्दु-B	N 27°29'43.86"	E-82°9'6.96"					
					बिन्दु-C	N 27°29'46.10"	E-82°9'8.26"					
					बिन्दु-D	N 27°29'44.98"	E-82°9'10.05"					
					बिन्दु-E	N 27°29'42.38"	E-82°9'8.44"					
					बिन्दु-F	N 27°29'36.70"	E-82°9'2.90"					

ई-टेंडरिंग प्रणाली की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

ई-निविदा (ई-टेंडर) डालने की अवधि	दिनांक-20.09.2026 समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक: 27.09.2026 समय 05:00 बजे अपराह्न तक
ई-निविदा के अपलोड स्कैन कॉपी की हार्ड कॉपी मूल प्रति जमा कराने हेतु	ई-निविदा में प्रतिभाग करने के बाद से ई-निविदा खोले जाने से एक घण्टा पूर्व तक
ई-निविदा खोलने की तिथि	दिनांक: 28.09.2026 समय 12:00 बजे पूर्वाह्न

- परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) की अवधि सम्मिलित नहीं मानी जायेगी।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-
क. विज्ञापित संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
ख. विज्ञापित में क्षेत्र का कर्मांक।
ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाईल नं० (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)
घ. क्या आवेदक भूस्वामी है। (हाँ/नहीं)
ड. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो:-
भूस्वामी का नाम:-
उपखनिज का नाम:-
तहसील का नाम:-

खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम:-

गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या:-

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा:-

च. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क ₹0-15,000/- के जमा का चालान/बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी बलरामपुर के नाम देय हो)

छ. प्री-बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)

ज. खनिज के प्रति घन मी० के लिये दी जाने वाली ई-निविदा की दर (ई-निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली-2019 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)

झ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ट. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

ठ. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति/हैसियत प्रमाण पत्र जो ई-निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।

4. बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा।

5. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करनी होगी।

6. ई-निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।

7. यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि० लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेंडरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-

(क). ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख). ई-टेंडरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग). विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेंडर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

8 निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेंडरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:-

j. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिंग आईडी (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेंडर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

V. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेंडर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैनड कापी कर पी०डी०एफ० फाईल बनायी जानी होगी।

vi. ई-टेंडर डाकुमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी०डी०एफ० फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रिबिड अर्नेस्ट मनी से संबंधित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियाँ भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

viii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रि बिड अर्नेस्ट मनी को टेंडर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई-निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेंडर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेंडर पोर्टल पर अनुमत्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमत्य नहीं होगी।

9. ई-टेंडर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैंड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोस एक्सपी सर्विस पैक 3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती हैं।

10. जिला स्तर पर ई-टेंडरिंग से सम्बन्धित टेंडर्स अपलोड किये जाने, टेंडर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि० 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

11. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का भूस्वामी/स्वामियों को एक अवसर प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

12. विज्ञप्ति के अनुसार ई-निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त दिनांक: 28.09.2026 को अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बलरामपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा। सर्वोच्च बोलीदाता को संज्ञान में लेकर 07 कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का भूस्वामी/स्वामियों को एक अवसर प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

13. भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी० हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी।

भू-स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।
14. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
15. लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई-निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामियों द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहारधारक द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।

16. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
17. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
18. सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक-14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
19. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।
20. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।
21. परिहारधारक द्वारा मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अन्य नियम एवं शर्तें:-

- क- खनन पट्टा आवंटित होने की स्थिति में खनन पट्टा धारक द्वारा उक्त गाटाओं के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा दी गयी सशर्त अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
ख- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र/खण्ड के आंकलित उपखनिज (सा० बालू) की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के संबंध में मौके का स्थलीय निरीक्षण कर निविदाकर्ता आश्वस्त/संतुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करे। ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के उपरान्त इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
ग- ई-निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में निविदा में लगायी गयी दर को उक्त क्षेत्र में आंकलित मात्रा से गुणाकर करने के पश्चात् प्राप्त कुल धनराशि के सापेक्ष निविदादाता के पास 25 प्रतिशत का हैसियत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त ई-निविदा पर कोई दावा स्वीकार/मान्य नहीं होगा।
घ- डी०एस०आर० में SEIAA द्वारा अंकित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(विपिन कुमार जै) 13/8/20
जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
2- आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।
3- प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अयोध्या।
4- प्रबन्धक निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर।
6- उप जिलाधिकारी, बलरामपुर/तुलसीपुर।

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by MOHAMMAD HALIM
Date: 2026.08.17 12:22:00 IST
Location: Uttar Pradesh-UP